रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर, 15, 1970/आश्विन 23, 1892

No. 174] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1970/ASVINA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Mines and Metals)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th October 1970

No. CI-13(II)/70.—The Government of India have been considering for some time past the question of formulating a long term Fuel Policy. The Energy Survey Committee, in their 1965 Report, found that our energy resources are adequate, but not abundant. They recommended that it was desirable to keep under review the trends in energy consumption as circumstances change. The energy consumption pattern indicates a growing dependence on liquid fuels although indigenous coal resources are available in abundance. It is considered necessary to evaluate all the available fuel resources in the country with a view to optimise utilisation of the same. Hence the Government have decided to set up a high level Fuel Policy Committee. The Committee will consist of the following:—

Chairman.

1. Shri R. Venkataraman, Member (Industry), Planning Commission.

Members.

2. Shri M. Dutta Chowdhury, Professor of Transport Economics, Delhi School of Economics, Delhi.
3. Vice Chairman, Central Water & Power Commission, New Delhi.

4. Dr. M. G. Krishna, Director, Indian Institute of Petroleum, Dehradun.
5. Dr. A. Lahiri, Director, Central Fuel Research Institute, Dhanbad.
6. Shri R. Lall, Managing Director, Bengal Coal Company Ltd., Calcutta.
7. Shri B. S. Negi, Member (Exploration), Oil and Natural Gas Commission, Dehradun.
8. Dr. Kirit Parikh, Director, Programme Analysis Group, Atomic Energy Commission, Bombay.
9. Dr. B. Ramamurti, (Statistician, lately of ECAFE).
10. Shri K. Vaidyanathan, Additional Member (Mechanical), Railway Board, New Delhi.
11. Shri Rasiklal Wohra, President, Indian Colliery Owners Association, Dhanbad.

Shri T. L. Sankar, Deputy Secretary, Department of Mines and Metals, will act as the full time Secretary of the Committee.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows:—

(a) Undertake a survey of fuel resources and the regional pattern of their distribution;

(b) Study the current trends in exploitation and use of fuels;

(c) Estimate prospective demand by sectors (in particular the transport industry, power generation industry and domestic fuel) and by regions;

(d) Study the efficiency in the use of fuel, and recommend—

(i) the outline of a national fuel policy for the next fifteen years;

(ii) a pattern of consumption and measures, fiscal and otherwise, which would help the best use of available resources; and

(iii) the measures and agencies, to promote the optimum efficient use of fuel.

3. The Committee will submit its report to the Government of India, Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Mines and Metals), New Delhi, within a priod of one year.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information.

N. SUBRAHMANYAM, Secy.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1970

संख्या को० 1-13(11)/70.—भारत सरकार विगत समय से दीर्घावधि ईंधन नीति बनाने के प्रश्न पर विचार करती आ रही है। ऊर्जा सर्वेक्षण समिति ने अपनी 1965 की रिपोर्ट में यह पाया कि ऊर्जा संसाधन पर्याप्त है परन्तु प्रचुर नहीं है। उन्होंने यह सिफारिश की कि जैसे परिस्थितियां परिवर्तित होती रहे वैसे ही ऊर्जा उपभोग में प्रवृत्ति को पुनरीक्षणाधीन रखना वांछनीय है ऊर्जा उपभोग पटर्न तरल ईंधनों पर वर्धित निर्भरता उपदर्शित करता है यद्यपि स्वदेशी कोयला संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ईंधन संसाधनों का उपयोजन को आशाजनक रखने की दृष्टि से देश में समस्त उपलब्ध ईंधन संसाधनों

का निर्धारण करना आवश्यक माना गया है। अतः सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि एक उच्च स्तरीय ईंधन-नीति-समिति स्थापित की जाए जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री आर० वेंकटारमन, सदस्य (उद्योग) योजना आयोग ।

सदस्य

2. श्री एम० दत्त चौधरी, प्रो० परिवहन आर्थिक, दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स, दिल्ली ।

3. उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग, नई दिल्ली ।

4. डा० एम० जी० कृष्ण, निदेशक, इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून ।

5. डा० ए० लहीरी, निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ।

6. श्री आर० लाल, प्रबन्ध निदेशक, बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।

7. श्री बी० एम० नेगी, सदस्य (समन्वेषण) तेल एवं नैसर्गिक गैस आयोग, देहरादून ।

8. डा० कीरत पारिख, निदेशक, प्रोग्राम अनालिसिस ग्रुप, एटोमिक ऊर्जा आयोग, बम्बई ।

9. डा० बी० रामामूर्ति, (सांख्यकी भूतपूर्व इ सी ए एफ ई)

10. श्री के० वैद्यनाथन, अतिरिक्त सदस्य (यांत्रिक) रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।

11. श्री रसिक लाल बोहरा, अध्यक्ष, इण्डियन कोलरी ओनर्स एसोसिएशन, धनबाद ।

श्री टी० एल० शंकर, उप-सचिव, खान तथा धातु विभाग, समिति के पूर्ण कालिक सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

2. समिति के निदेश-निबन्धन निम्न प्रकार से होंगे :—

(क) ईंधन संसाधनों के सर्वेक्षण का कार्य करेगी एवं उनके वितरण का क्षेत्रीय पैटर्न तैयार करेगी ;

(ख) समुपयोजन एवं ईंधनों के उपयोग में चालू प्रवृत्ति का अध्ययन ;

(ग) सेक्टरों द्वारा तथा क्षेत्रों द्वारा पूर्वेक्षण मांग का प्राक्कलन (विशेष परिवहन उद्योग, शक्ति जनक उद्योग और घरेलू ईंधन)

(घ) ईंधन के उपयोग में दक्षता—अध्ययन और

(1) आगामी पन्द्रह वर्षों के लिए राष्ट्रीय ईंधन नीति की रूप रेखा ;

(2) उपभोग तथा उपायों, वित्तीय और अन्यथा का पैटर्न, जो उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सहायता करेगा ;

(3) ईंधन के एकाकार्य-दक्षता पूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए उपाय एवं अभिकरण के लिए सिफारिश देगी ।

3. समिति एक वर्ष की कालावधि के अन्दर भारत सरकार, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु (खान तथा धातु विभाग) मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देगी ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति से सभी सम्पृक्तों को संसूचित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए ।

एन० सुब्रह्मण्यम, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970